

vehicle and ensure safety to the public. The average vehicle owner in a big town does not like to waste time in waiting for the signal man to open the door at his discretion. The forced immobility of the vehicles is rarely shared by the pedestrians and cyclists. They cross the railway crossings even when an incoming train and sometimes two from opposite directions are pretty close. As a result, accidents do occur frequently and the number of persons killed or maimed for life by such accidents is not insignificant. I, therefore, urge upon the Government to take up the work of building a fly-over at the present level crossing on old Kalna Road about a kilometre off the Burdwan Railway Station. Timely action by the Government will not only improve the speed for the vehicular traffic and convenience of the general public but save many pedestrians from being killed and maimed.

(ix) Need for granting compensation to paddy cultivators in Tamil Nadu whose crops were destroyed from pest infection.

**SHRI S.A. DORAI SEBASTIAN (Karur) :** Under Rule 377 I want to draw the attention of this august House to the following matter of urgent public importance.

Paddy cultivation in Tamil Nadu has been very much affected during this season. The high-yielding variety I.R. 50 is the seed variety which was sown. This variety has been affected by pest which is called Kuruthupoochi in Tamil which has entered into the stems and has eaten away all the crops with the result that more than 50% of the yield is mere chaff. In spite of all the measures taken under pest control methods this has happened and the attempts to protect the crops have totally failed. This has created heavy losses to the agriculturists.

I am, therefore, requesting the hon. Minister of Agriculture to kindly grant compensation to the agriculturists.

(x) Need to complete Kanti Thermal Power Project within the proposed time limit to solve the problem of power shortage in Bihar.

**श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) :**

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तो समस्त बिहार ही आज विद्युत अकाल के साये में आया हुआ है, किन्तु मुजफ्फरपुर जिले में इस साये की कालिमा अधिक ही गहरी दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से इस स्थिति से निपटने के लिए कांटी थर्मल पावर परियोजना नामक एक योजना तैयार की गई। इसके निर्माण का कार्य सरकारी प्रतिष्ठान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को सौंपा गया। योजना के प्रथम चरण में 110 मैगावाट विद्युत उत्पादन का कार्य प्रारम्भ होना, जून 1983 तक निर्धारित किया गया, किन्तु जून 1983 में पुनः सितम्बर 1983 तक इस कार्य के पूर्ण होने की आशा बंधाई गई और आज समय ने सिद्ध कर दिया कि प्रथम चरण में निर्धारित कार्य ही 1984 तक भी पूर्ण होने की कोई सम्भावना नहीं। विद्युत के अभाव में कृषि भूमि प्यासी है, औद्योगिक श्रमिक भूखे होते जा रहे हैं और दूसरी ओर इस परियोजना का निर्माण-व्यय, निर्धारित राशि से दुगना व तिगुना होता जा रहा है। संपूर्ण उत्तर बिहार आज अंधेरे में समाता चला जा रहा है। वैशाली संसदीय क्षेत्र के सरैयां प्रखंड में 18 सरकारी ट्यूबवैलों में से मात्र 4 ट्यूबवैल ही चालू हालत में हैं और लगभग यही दशा पारू, बरुराज, कांटी प्रखंडों की भी है। आज की स्थिति में किसान के कष्ट बढ़ रहे हैं, उद्योगपति की तकलीफें तीव्र हो रही हैं और मजदूर भूख से मौत की ओर चलता जा रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन परियोजनाओं को प्राथमिकता दे और निर्धारित अवधि में ही इन्हें पूर्ण करे, जिससे देश की गति में अवरोध उत्पन्न न हो।

12.40 hrs.

EXPORT (QUALITY CONTROL AND INSPECTION) AMENDMENT BILL (Contd.)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri N.R. Laskar on 4th May, 1984, namely :

"That the Bill to amend the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, be taken into consideration."

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो नियमित (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। आज हमारे देश में उद्योग बहुत बढ़ रहे हैं और जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है उसमें 8 हजार से अधिक तैयार माल विदेशों को निर्यात किए जाते हैं तथा काफी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा उसके द्वारा अर्जित की जाती है। फिर भी विदेशी बाजारों में हमारी साख नहीं जम पा रही है जिसका कारण यह है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वह घटिया क्वालिटी का होता है। सरकार को चाहिए कि इस पर पूरा नियन्त्रण करे ताकि जो भी उत्पादन हो वह विश्व मार्केट के लिए उपयोगी हो सके। यह बात निश्चित है कि जब विदेशों में मांग बढ़ेगी तो भारत का विदेशी व्यापार भी

बहुत काफी बढ़ेगा। सन् 1960 के अधिनियम में जो त्रुटियाँ रह गई थीं उनके निवारण के लिए आपने निश्चित रूप से प्रयास किया है। निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) विधेयक को लागू हुए यद्यपि 23 वर्ष बीत चुके हैं परन्तु अभी तक 8 हजार वस्तुओं में से केवल 10 परसेन्ट वस्तुओं पर ही आपका कन्ट्रोल लागू हो सका है (व्यवधान) हमारे पास जो इंफार्मेशन है उसके अनुसार अभी तक जो लिस्ट है उसमें केवल 10 परसेन्ट वस्तुओं पर ही आपका क्वालिटी नियन्त्रण लागू हो सका है। (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि जो भी एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज हैं उनकी क्वालिटी सुधारी जाए। आजकल क्वालिटी प्रोडक्शन का युग है, क्वालिटी प्रोडक्शन की ओर ज्यादा भाग दौड़ है। आज इस देश में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जहाँ जापान या जर्मनी के द्वारा निर्मित घड़ियों, रेडियो, वी० सी० आर० तथा नाना प्रकार की अन्य चीजों की लालसा न हो। इसलिए आज के युग में क्वालिटी को मेनटेन करना परमावश्यक है। लेकिन हमारे देश में नकल करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। विदेशी चीजों की नकल बनाकर और उन पर जापान आदि की मोहर लगाकर हांगकांग के रास्ते बेचने का यत्न करते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे देश में इस सम्बन्ध में जो निरीक्षण करने वाली सरकारी मशीनरी है वह सही नियन्त्रण नहीं कर रही है। यह जो संशोधन आपने किया है, यह बहुत अच्छा है। इस तरह की अन्धाधुन्ध नकलचीपन की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए आवश्यक था। इसके साथ-साथ निर्यात निरीक्षण परिषद में